

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग भोपाल-462004**

-:: रिव्यू में पारित आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 31 /01/2019.

क्रमांक- 167/723/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्र. 3531/723/आउशि/सम्बद्धता/18 दिनांक 31/12/2018 द्वारा अमान्य किया गया था।

4. अमान्य किये गये प्रस्तावों के विरुद्ध 'रिव्यू' के अन्तर्गत एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन रिव्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 15/01/2019 निर्धारित की गई थी, निर्धारित तिथि के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा "आन-लाईन रिव्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की गई गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राप्त "रिव्यू" आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त "रिव्यू" आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, यथा अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक संस्था के अध्यक्ष/प्राचार्य के साक्षात्कार तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में "रिव्यू" के परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	बैन गंगा माई शिक्षण संस्थाएं अरंडिया, केवलारी, सिवनी	
3	प्रस्तावित/संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	महाजन कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अरंडिया, तह. केवलारी जिला सिवनी	
4	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.एस.सी. तृतीय वर्ष- बॉटनी, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी	
5	अमान्य करने का कारण	निर्धारित समय सीमा तक कमी पूर्ति पूर्ण नहीं करने के कारण	
6	"रिव्यू" पश्चात् आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
7	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
8	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.एस.सी. तृतीय वर्ष- बॉटनी, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी	पंजीकृत समिति की अद्यतन अभिप्रमाणित सूची आगामी तीन माह में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा में प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर
9	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

8. "रिव्यू" में मान्य पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/02/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की जाती है, अतः सम्बद्धता हेतु निर्धारित समयसीमा में संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. सशर्त मान्य किये गये प्रकरणों पर लगाई गई शर्त शैक्षणिक सत्र 2019-20 आरम्भ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये। औचक निरीक्षण में शर्त पूरी न होने पर महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही संभावित होगी।


10. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

11. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

12. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/02/2019 से 15/02/2019 निर्धारित है, इस अवधि में प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के नाम से सकारण अपील आवेदन संबंधित शाखा के ई-मेल "affil-he@mp.gov.in" पर प्रेषित करते हुए अपील दर्ज की जा सकती है।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक— 168/723/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 31 /01/2019.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पौचवीं मन्जिल, ए-बी विंग भोपाल-462004**

--: रिव्यू में पारित आदेश ::--

भोपाल, दिनांक- 31 /01/2019.

क्रमांक- 169/738/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्र. 3198/738/आउशि/सम्बद्धता/18 दिनांक 29/12/2018 द्वारा अमान्य किया गया था।

4. अमान्य किये गये प्रस्तावों के विरुद्ध 'रिव्यू' के अन्तर्गत एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन रिव्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 15/01/2019 निर्धारित की गई थी, निर्धारित तिथि के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा "आन-लाईन रिव्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की गई गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राप्त 'रिव्यू' आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त "रिव्यू" आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, यथा अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक संस्था के अध्यक्ष/प्राचार्य के साक्षात्कार तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में "रिव्यू" के परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	श्री वद्वमान तकनीकी शिक्षा समिति	
3	प्रस्तावित/संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, जबलपुर	
4	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	बी.एससी. प्रथम वर्ष- अति. विषय कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स	
5	अमान्य करने का कारण	पर्याप्त अधोसंरचना एवं प्रयोग शाला के अभाव में	
6	"रिव्यू" पश्चात् आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
7	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	निरंक	निरंक
8	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	बी.एससी. प्रथम वर्ष- अति. विषय कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स	अमान्य किये गये पाठ्यक्रम को मान्य (प्रारंभ) किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि तीन माह की अवधि में कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की सुसज्जित प्रयोगशाला स्थापित की जाए।
9	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	निरंक	निरंक

8. "रिव्यू" में मान्य पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/02/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की जाती है, अतः सम्बद्धता हेतु निर्धारित समयसीमा में संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. सशर्त मान्य किये गये प्रकरणों पर लगाई गई शर्त शैक्षणिक सत्र 2019-20 आरम्भ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये। औचक निरीक्षण में शर्त पूरी न होने पर महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही संभावित होगी।


10. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

11. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

12. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/02/2019 से 15/02/2019 निर्धारित है, इस अवधि में प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के नाम से सकारण अपील आवेदन संबंधित शाखा के ई-मेल "affil-he@mp.gov.in" पर प्रेषित करते हुए अपील दर्ज की जा सकती है।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 170/738/आउशि/सम्बद्धता/18.
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक- 31 /01/2019.

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाकौशल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग भोपाल-462004**

-:: रिब्यू में पारित आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 31 /01/2019.

क्रमांक- 171/741/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्र. 3027/741/आउशि/सम्बद्धता/18 दिनांक 29/12/2018 द्वारा अमान्य किया गया था।

4. अमान्य किये गये प्रस्तावों के विरुद्ध 'रिब्यू' के अन्तर्गत एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन रिब्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 15/01/2019 निर्धारित की गई थी, निर्धारित तिथि के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा "आन-लाईन रिब्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की गई गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राप्त "रिब्यू" आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

//2//

7. संस्था से प्राप्त "रिव्यू" आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, यथा अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक संस्था के अध्यक्ष/प्राचार्य के साक्षात्कार तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में "रिव्यू" के परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	प्रीमियर एजुकेशन सोसायटी, जबलपुर	
3	प्रस्तावित/संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, पिपरिया (खमरिया), कुंडम रोड, जबलपुर	
4	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.एससी. प्रथम वर्ष- भौतिकी, रसायन, गणित बी.ए. प्रथम वर्ष- अति.विषय अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर	
5	अमान्य करने का कारण	पर्याप्त अधोसंरचना के अभाव के कारण	
6	"रिव्यू" पश्चात् आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
7	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.एससी. प्रथम वर्ष- भौतिकी, रसायन, गणित बी.ए. प्रथम वर्ष- अति.विषय अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर	उक्त संदर्भ में प्राचार्य द्वारा समुचित बैठक व्यवस्था संबंधी प्रमाण प्रदान किया गया है। सीडी के अवलोकन में पाया गया कि प्रदर्शित प्रयोगशालाओं में उपकरण एवं अन्य व्यवस्थाएँ संतोषजनक हैं।
8	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
9	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

8. "रिव्यू" में मान्य पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/02/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की जाती है, अतः सम्बद्धता हेतु निर्धारित समयसीमा में संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. सशर्त मान्य किये गये प्रकरणों पर लगाई गई शर्त शैक्षणिक सत्र 2019-20 आरम्भ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये। औचक निरीक्षण में शर्त पूरी न होने पर महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही संभावित होगी।

10. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

//3//

11. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

12. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/02/2019 से 15/02/2019 निर्धारित है, इस अवधि में प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के नाम से सकारण अपील आवेदन संबंधित शाखा के ई-मेल "affil-he@mp.gov.in" पर प्रेषित करते हुए अपील दर्ज की जा सकती है।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 172/741/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 31 /01/2019.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाकौशल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग भोपाल-462004**

-:: रिब्यू में पारित आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 31 /01/2019.

क्रमांक- 173/1095/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्र. 3527/1095/आउशि/सम्बद्धता/18 दिनांक 31/12/2018 द्वारा अमान्य किया गया था।

4. अमान्य किये गये प्रस्तावों के विरुद्ध 'रिब्यू' के अन्तर्गत एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन रिब्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 15/01/2019 निर्धारित की गई थी, निर्धारित तिथि के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा "आन-लाईन रिब्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की गई गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राप्त "रिब्यू" आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त "रिव्यू" आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, यथा अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक संस्था के अध्यक्ष/प्राचार्य के साक्षात्कार तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में "रिव्यू" के परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	एवेन्जिलिकल लूथरन चर्च इन एमपी	
3	प्रस्तावित/संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	डेनियलसन कॉलेज, छिन्दवाड़ा	
4	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	एम.एससी. पूर्वाद्ध- भौतिकशास्त्र	
5	अमान्य करने का कारण	निर्धारित समय सीमा तक कमी पूर्ति पूर्ण नहीं करने के कारण	
6	"रिव्यू" पश्चात् आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
7	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	एम.एससी. पूर्वाद्ध- भौतिकशास्त्र	
8	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
9	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

8. "रिव्यू" में मान्य पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/02/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की जाती है, अतः सम्बद्धता हेतु निर्धारित समयसीमा में संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. सशर्त मान्य किये गये प्रकरणों पर लगाई गई शर्त शैक्षणिक सत्र 2019-20 आरम्भ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये। औचक निरीक्षण में शर्त पूरी न होने पर महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही संभावित होगी।

10. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

//3//

11. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

12. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/02/2019 से 15/02/2019 निर्धारित है, इस अवधि में प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के नाम से सकारण अपील आवेदन संबंधित शाखा के ई-मेल "affil-he@mp.gov.in" पर प्रेषित करते हुए अपील दर्ज की जा सकती है।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 174/1095/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 31 /01/2019.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की ओर विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवी मन्जिल, ए-बी विंग भोपाल-462004**

-:: रिब्यू में पारित आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 31 /01/2019.

क्रमांक- 175/1117/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्र. 3034/1117/आउशि/सम्बद्धता/18 दिनांक 29/12/2018 द्वारा अमान्य किया गया था।

4. अमान्य किये गये प्रस्तावों के विरुद्ध 'रिब्यू' के अन्तर्गत एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर "आन-लाईन रिब्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 15/01/2019 निर्धारित की गई थी, निर्धारित तिथि के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा "आन-लाईन रिब्यू" आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की गई गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

6. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राप्त "रिब्यू" आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

7. संस्था से प्राप्त "रिव्यू" आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, यथा अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक संस्था के अध्यक्ष/प्राचार्य के साक्षात्कार तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में "रिव्यू" के परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु क्रमांक	विवरण	टीप
1	विश्वविद्यालय का नाम	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	
2	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	मंथन शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति, पांदुरना, छिन्दवाड़ा	
3	प्रस्तावित/संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	यूनिवर्सल गर्ल्स कॉलेज, छिन्दवाड़ा	
4	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.एससी. प्रथम वर्ष अति. विषय बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, बी.कॉम. प्रथम वर्ष, अति. विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बी.ए. प्रथम वर्ष, अति. विषय कम्प्यूटर, इतिहास, राजनीतिशास्त्र	
5	अमान्य करने का कारण	पर्याप्त अधोसंरचना एवं प्रयोग शाला के अभाव के कारण	
6	"रिव्यू" पश्चात् आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
7	मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.एससी. प्रथम वर्ष अति. विषय बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, बी.कॉम. प्रथम वर्ष, अति. विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बी.ए. प्रथम वर्ष, अति. विषय कम्प्यूटर, इतिहास, राजनीतिशास्त्र	प्रयोगशाला के छायाचित्र प्रस्तुत किये गए हैं। सीडी में सभी प्रयोगशालाओं में उपकरण प्रदर्शित हो रहे हैं एवं उपकरणों की खरीदी के बिल भी संलग्न किये गये हैं। प्राचार्य द्वारा भी समुचित बैठक व्यवस्था का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8	सशर्त मान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक
9	अमान्य : नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरंक	निरंक

8. "रिव्यू" में मान्य पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/02/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की जाती है, अतः सम्बद्धता हेतु निर्धारित समयसीमा में संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. सशर्त मान्य किये गये प्रकरणों पर लगाई गई शर्त शैक्षणिक सत्र 2019-20 आरम्भ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये। औचक निरीक्षण में शर्त पूरी न होने पर महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही संभावित होगी।

10. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।


//3//

11. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

12. अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/02/2019 से 15/02/2019 निर्धारित है, इस अवधि में प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के नाम से सकारण अपील आवेदन संबंधित शाखा के ई-मेल "affil-he@mp.gov.in" पर प्रेषित करते हुए अपील दर्ज की जा सकती है।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.


पृ. क्रमांक— 176/1117/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 31 /01/2019.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सेल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.